भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1987
दिनांक 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पंजाब में नशे की समस्या

1987. सुश्री स्वाति मालिवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पंजाब में जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) पंजाब में, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति की दर सहित, मादक-पदार्थ संबंधी दर्ज और लंबित एफआईआर के मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) पंजाब में प्रत्येक वर्ष दर्ज की गई मादक-पदार्थ-संबंधित मृत्यु/नशीले पदार्थों के अधिक सेवन से होने वाली मृत्यु की जिला-वार संख्या कितनी है;

(घ) मान्यता प्राप्त नशा-मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों, वार्षिक रुप से भर्ती किए गए और सफलतापूर्वक पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) मादक-पदार्थ निरोध प्रवर्तन, रोकथाम और पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा और इससे प्राप्त परिणाम क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित, वर्ष 2023 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के दौरान पंजाब में जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल मात्रा निम्नानुसार है :-

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1987, दिनांक 17.12.2025

वर्ष	किग्रा.	संख्या	लीटर
2019	44239.070	10214701	1526.716
2020	37364.676	44649858	4517.190
2021	38783.170	17772675	4800.729
2022	49421.858	6246151	5017.200
2023	47609.38	8619885	3747.644

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित, वर्ष 2023 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के दौरान पंजाब राज्य में मादक पदार्थों से संबंधित दर्ज मामलों (सीआर), वर्ष के अंत में विचारण के लिए लंबित मामलों (सीपीटीईवाई), दोषसिद्धि दर (सीवीआर) और दोषमुक्त मामलों (सीएक्यू) की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	सीआर	सीपीटीईवाई	सीवीआर	सीएक्यू
2019	11536	23671	64.8	2688
2020	6909	30496	67.2	627
2021	9972	36104	77.9	695
2022	12442	40884	79.2	851
2023	11589	45962	82.7	1291

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

(ग): वार्षिक रूप से रिपोर्ट की गई मादक पदार्थ संबंधी मृत्यु/नशीले पदार्थों के अधिक सेवन से होने वाली मृत्यु के संबंध में विशिष्ट जानकारी एनसीआरबी द्वारा नहीं रखी जाती है। हालांकि, एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित, वर्ष 2023 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पंजाब राज्य में वर्ष 2021 से 2023 के दौरान दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल (ओवरडोज) से होने वाली मौतों की संख्या इस प्रकार है: -

वर्ष	मौतों की संख्या
2021	78
2022	144
2023	89

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

(घ) और (ङ): भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा देश भर में 349 'नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों' (आईआरसीए), 45 'समुदाय आधारित पीयर लेड इंटर्वेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों', 76 'आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी)', 154 'व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ)' और 139 'जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसीएस)' को सहायता प्रदान की जा रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि और पूरे देश में पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या का ब्योरा निम्नानुसार है :-

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1987, दिनांक 17.12.2025

वित्तीय वर्ष	नशामुक्ति केन्द्रों के लिए जारी निधि (करोड रुपये में)	पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या
2022-23	93.6	339585
2023-24	132.68	581813
2024-25	170.26	798893

स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, एमओएसजेई द्वारा पंजाब राज्य में 07 'नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों' (आईआरसीए), 02 'आउटरीच एंड ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी)' और 01 'समुदाय आधारित पीयर लेड इंटर्वेंशन (सीपीएलआई) केन्द्र' को सहायता प्रदान की जा रही है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए जारी की गई निधि और पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या का ब्योरा निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	नशामुक्ति केन्द्रों के लिए जारी निधि (करोड रुपये में)	पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या
2022-23	1.01	11239
2023-24	1.33	11486
2024-25	2.96	11603

स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष (एनएफसीडीए) का गठन किया है, जिसके तहत स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी का मुकाबला करने, मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने, नशे की लत को दूर करने और नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के पुनर्वास तथा मादक पदार्थों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आदि के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एनएफसीडीए के तहत स्वीकृत निधियों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत निधि (रुपये में)
2022-23	57,92,375.00
2023-24	20,61,721.00
2024-25	शून्य

स्रोत: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।

*****